



न्यायालय म.प्र.राजस्व मण्डल केन्द्र गवालियर मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक:-

/16 निगरानी

101 - 1265 - III - 16

रामकुँवरबाई पति बालाराम पाटीदार निवासी
ग्राम हनुमंतिया तहसील जावरा जिला रतलाम
(म.प्र.)

.....आवेदिका

विरुद्ध

01. सुरेशचन्द्र पिता बसन्तीलाल
रामेश्वर पिता चिमनलाल मृत द्वारा वारि।
02. बालाराम पिता रामेश्वर
03. गणपतलाल पिता रामेश्वर सभी निवासीगण
ग्राम हनुमंतिया तहसील जावरा जिला रतलाम
(म.प्र.)

.....अनावेदकगण

पुनरीक्षण प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 50 मोप्र०मू०राजस्व संहिता

पुनरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग केन्द्र
उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 104 / 15.16 में पारित आदेश दिनांक
21 / 12 / 15 से असन्तुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणों के आधार पर³⁴
पुनरीक्षण अन्दर अवधि प्रस्तुत करती है।

Omkar

R-1265-III | 16

23-11-2016

आवेदक की ओर से श्री अरबलाल हुरैषी
अभिमानकु उपस्थित। ग्राहकला पर सुना
गया। अपर आमुल के आईका की सत्यपुरिकीपि
का अवलोकन किया गया। अपर आमुल
हारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील मध्य 20
दिवस बिलबो से प्रस्तुत होने के बारें
निरस्त की गई है। इस संबंध में 2015(4)
MPLJ 502 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय
हारा -याप दुष्ट्योग प्रतिधिकरण (किया गया
है कि समय - सीमा के बिन्दु पर 32 स
द्विविजेन अपनाना चाहिए। अतः माननीय
सर्वोच्च न्यायालय हारा प्रतिधिकरण न्यायिक
सिद्धीत के प्रकाश में अपर आमुल का
आईका दिनांक 21-12-2015 निरस्त किया
आहर प्रक्रम शुभ-दोष पर निराचरण
हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है।

अमुल

[कृ. प. उ.